विषय सूची

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार

I.(अ) स्वतः अनुमोदित मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता

iii) राशि और परिपक्वता

iv) समग्र लागत सीमा

v) अंतिम उपयोग

vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

vii) गारंटी

viii) जमानत

ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार को विदेशों में रखना

x) समयपूर्व भुगतान

xi) वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

xii) ऋण चुकौती

xiii) प्रक्रिया

I (आ) अनुमोदन मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता

iii) राशि और परिपक्वता

iv) समग्र लागत सीमा

v) अंतिम उपयोग

vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

vii) गारंटी

viii) ज़मानत

ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार को विदेशों में रखना

x) समयपूर्व भुगतान

xi) वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

xii) ऋण चुकौती

xiii) प्रक्रिया

xiv) विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड

xv) अधिकार प्रदत्त समिति

II रिपोर्ट करने की व्यवस्था और सूचना प्रसारण

i) रिपोर्ट करने की व्यवस्था

ii) जानकारी का प्रसार

III. संरचनात्मक दायित्व

IV. बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांत

V. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन
VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना
VII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार

भाग-II
भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार
(क) राशि और परिपक्वता अवधि
(ख) समग्र लागत सीमा
(ग) गारंटी
(घ) रिपोर्टिंग व्यवस्था- फार्म ईसीबी
अनुबंध-II
फार्म 83
अनुबंध-III
ईसीबी-2
अनुबंध-IV
फार्म - टीसी
अनुबंध-V
प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी गारंटी/ वचनपत्र/ लेटर ऑफ कंफर्ट के ब्योरे
परिशिष्ट :
अधिसूचनाओं/परिपत्रों की सूची
भाग-I
बाह्य वाणिज्यिक उधार
बाह्य वाणिज्यिक उधार का संबंध अनिवासी उधारकर्ताओं से लिए गये कम से कम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अवधिवाले बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, जांची गई लिखतों के रूप में (अर्थात् अस्थिर दरवाले नोटों और निर्धारित दर वाले बांड्स)वाणिज्यिक ऋणों से है।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का तात्पर्य उस बांड से है जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया जाये और जिसका मूल तथा ब्याज , विदेशी मुद्रा में देय हो । इसके अलावा यह अपेक्षित है कि ये बांड योजना अर्थात "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर निर्गम (जमा रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना , 1993" के अनुसार जारी किये जायें और अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदान किया जाये तथा ऋण लिखतों से संबद्ध इक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से, जारीकर्ता कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय हों। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड निर्गम के लिए समय-समय पर संशोधित 7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना फेमा सं. 120/आर बी-2004 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

अधिमान शेयर (अर्थात् अपरिवर्तनीय,वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा अंशत: परिवर्तनीय), जिसके निर्गम के लिए निधियां 1 मई 2007 को अथवा उसके बाद प्राप्त की

गयी है ,ऋण के रूप में मानी जाती है । तदनुसार, बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए लागू सभी मापदण्ड अर्थात् पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, राशि और परिपक्वता, प्रयोजनपरक उपयोग संबंधी शर्तें, आदि लागू होंगे । चूंकि इन लिखतों को रूपयों में मूल्यवर्गित किया जाएगा, रूपया व्याज दर लिबोर प्लस के समतुल्य स्वैप पर आधारित होगा जो समान परिपक्वता के बाहय वाणिज्य उधारों के लिए अनुमत है ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी)से वह बांड अभिप्रेत है जो कि विदेशी मुद्रा में जारी किया जाये और जिसकी मूल राशि तथा ब्याज दोनों ही विदेशी मुद्रा में देय हों तथा निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो और भारत के बाहर रहनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त हो तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है, जो या तो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अथवा ऋण लिखतों से संबध्द किसी ईक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, की 15 फरवरी की अधिसूचना जी.एस.आर.89(ङ) द्वारा अधिसूचित ''विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी)निर्गम योजना,2008'' का पालन करेंगे । बाह्य वाणिज्यिक उधारों का नियंत्रण करनेवाले दिशा-निर्देश, नियम, आदि विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड के लिए भी लागू हैं ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार को दो मार्गों, नामतः (i) खण्ड I(अ) में दिया गया स्वतः अनुमोदित मार्ग और (ii) खण्ड I (आ) में दिया गया अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

संपदा क्षेत्र-औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर भारत में संरचनात्मक क्षेत्र और खण्ड I(अ)(i) (क) के तहत दर्शाये गये अनुसार विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में निवेश हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं अथार्त् भारतीय रिजर्व बैंक /सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है ।स्वतः अनुमोदित मार्ग के तक पहुंच की पात्रता के संबंध में संदेह के मामले में आवेदक अनुमोदन मार्ग का सहारा ले सकते हैं ।

I (अ) स्वत: अनुमोदित मार्ग

बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रस्तावों के निम्नलिखित प्रकार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आते हैं ।

i) **पात्र उधारकर्ता**

(क) होटल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर क्षेत्रों की उन कंपनियों सहित कंपनियां, (वित्तीय मध्यस्थों के सिवाय, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां जैसे बैंक ,वित्तीय संस्थाएं (एफआइ), आवास वित्त कंपनियां (एंएफसीएस)और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीएस)) बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए पात्र हैं । व्यक्ति, ट्रस्ट और लाभ न कमानेवाले संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार

उगाहने के पात्र नहीं हैं।

(ख) विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों को अपनी आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति है। फिर भी, सहयोगी संस्थाओं को अथवा स्व-देशी टैरिफ एरिया में किसी इकाई को बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों के अंतरण की अनुमति नहीं है।

(ग) व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं । ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का (i) विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सूचीबध्द वाणिज्य बैंक के साथ कम से कम 3 वर्षों का संतोषजनक उधार संबंधी संव्यवहार होना चाहए और (ii) पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से उधारकर्ता कंपनी के बोर्ड/ प्रबंध समिति की 'सही और उचित' स्थिति पर समुचित सावधानी का एक प्रमाणपत्र आवश्यक होगा ।

(ii) मान्यता पात्र उधारदाता

अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (i) अंतरराष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि), (iv) निर्यात ऋण एजेंसियों और (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, (vi) विदेशी सहयोगियों और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों से , उधारकर्ता बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकते हैं। स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत "मान्यता प्राप्त उधारदाता" के रूप में पात्र होने के लिए एक "विदेशी ईक्विटी धारक" को नीचे निर्धारित किए गए अनुसार उधारकर्ता कंपनी में प्रदत्त ईक्विटी की न्यूनतम धारिता की जरूरत होगी :

(i) 5 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी,

(ii) 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी और ऋण ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारिता के चार गुना से अधिक न हो)।

निम्नलिखित पूर्वोपायों का पालन करनेवाले विदेशी संगठन और व्यक्तियां व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं ।

(क) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए प्रस्ताव करनेवाले **विदेशी संगठनों** को उधारकर्ता की प्राधिकृत व्यापारी बैंक को किसी विदेशी बैंक से समुचित सावधानी का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो मेजबान-देश के विनियामक के विनियम की शर्त के अधीन होगा और वित्तीय कार्रवाई कृतीदल (एफएटीएफ)के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा । समुचित सावधानी के प्रमाणपत्र में निम्नलिखित बाते होनी चाहिए (i) उधारदाता का न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक में खाता होना चाहिए, (ii) उधारदाता कंपनी स्थानीय विधि के अनुसार गठित की गयी हो और व्यवसाय/स्थानीय समुदाय द्वारा सुप्रतिष्ठाप्राप्त हो, और (iii) उसके विरूध्द

कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित न हो।

(ख) **व्यक्तिगत उधारदाता** को किसी विदेशी बैंक से यह दर्शाते हुए समुचित सावधानी का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए कि) उधारदाता का न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक में खाता है । अन्य साक्ष्य/दस्तावेज, जैसे खाते का लेखा-परिक्षित विवरण और आय कर विवरण जो विदेशी उधारदाता प्रमाणित किये जाने के लिए प्रस्तुत करता है और विदेशी बैंक द्वारा प्रेषित किया जाता है ।

ऐसे देशों , से व्यक्तिगत उधारदाता बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रदान किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं ,जहां बैंकों को " **अपने ग्राहक को जानिये** " (केवाइसी) दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है ।

(iii) राशि और परिपक्वता

(क) एक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम राशि, जो होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की उन कंपनियों से अन्य कोई कंपनी उगाह सकती है, वह **500** मिलियन अमरीकी डालर है अथवा उसके समतुल्य राशि है।

(ख) सेवा क्षेत्र अर्थात् होटलों, अस्पतालों और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए विदेशी मुद्रा और / अथवा रुपया पूंजीगत व्यय करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में **100** मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है । बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण हेतु नहीं किया जाना चाहिए ।

(ग) व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) एक वित्तीय वर्ष में **5** मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाह सकते हैं । पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ता के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की आहरण द्वारा कमी के समय पूर्णत: बचाव की जाती है ।

(घ) एक वित्तीय वर्ष में, **3** वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले **20** मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार

(ङ) **5** वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले **20** मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक और **500** मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

(घ) **20** मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार में क्रय/ विक्रय विकल्प सकते हैं बशर्ते क्रय/विक्रय विकल्प का उपयोग करने से पहले औसत **3** वर्ष की औसत न्यूनतम परिपक्वता अवधि का पालन किया जाता है।

(iv) समग्र लागत सीमा

इसमें वायदा फीस, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपये में देय फीस के सिवाय ब्याज दर,विदेशी मुद्रा में अन्य फीस और खर्चे शामिल हैं। फिर भी, कर के भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

समीक्षा होने तक निम्नलिखित सीमाएं वैध हैं:

औसत परिपक्वता अवधि	**छ : माह तक के लाइबोर से ऊपर समग्र लागत सीमा**
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	300 आधार बिंदु
पांच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु
*उधार की अपनी-अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए	

(v) **प्रयोजनपरक उपयोग**

(क) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही भारत में केवल स्थावर संपत्ति क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र और विशेष सेवा क्षेत्र अर्थात् होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर में निवेश के लिए [पूंजी माल का आयात (विदेशी व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार) नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए] निवेश के लिए की जा सकती है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्रयोजन के लिए संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है - (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी संरचना (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासीपरियोजनाएं) और (viii) खनन, परिष्करण और अन्वेषण ।

(ख) विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए किया जा सकता है।

(ग) बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि का उपयोग विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के पहले चरण के अधिग्रहण के लिए अनुमत है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को ऑफर करना दूसरे चरण के लिए अनिवार्य है ।

(घ) 3-जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस / अनुमति प्राप्त करने के लिए भुगतान ।
स्व-सहायता दलों को उधार देने के लिए अथवा व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्षमता निर्माण सहित वास्तविक व्यष्टि वित्तीय गतिविधि के लिए ।

(च) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की समय पूर्व पुनर्खरीद (सुविधा 31 दिसंबर 2009 तक उपलब्ध है), पूर्वोक्त पैरा अ (x) (ख) में विस्तृत शर्तों के अनुपालनाधीन ।

(vi) **प्रयोजनपरक उपयोग की अनुमति नहीं**

(क) भारतीय कंपनी द्वारा आगे उधार देने अथवा पूंजी बाज़ार में निवेश अथवा किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से का) के अधिग्रहण के लिए ।

(ख) स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए ।

(ग) कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए ।

(vii) गारंटी

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी/ तत्काल साखपत्र,वचन पत्र अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है।

(viii) ज़मानत

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत का विकल्प का चुनाव उधारकर्ता पर ही छोड़ दिया गया है। परंतु समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और शेयर जैसे वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/ आरबी-2000 के विनियम 8 और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को उधारकर्ता द्वारा उठाये जानेवाले बाह्य वाणिज्यिक उधार सुरक्षित करने हेतु अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन करने और समुद्रपारीय उधारदाता/सिक्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत 'आपत्ति नहीं ' जारी करने के लिए प्राधिकार दिये गये हैं ।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत 'अनापत्ति' प्रदान करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए कि (i)निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं , (ii) अचल परिसंपत्तियों/ वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने / कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए उधअरकर्ता को आवश्यक ऋण करार में जमानत संबंधी खंड मौजूद है, (iii) ऋण करार पर उधारदाता और उधारकर्ता दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, और (iv) उधारकर्ता ने रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण नंबर(एलएनआर) प्राप्त किया है ।

उपर्युक्त शर्तों का पालन करने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने और कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं ।

क) **अचल परिसंपत्तियों पर** प्रभार सृजित करने के लिए एक तो उधारदाता अथवा सिक्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं :

(i) 'आपत्ति नहीं ' प्रमाणपत्र केवल निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता को ही प्रदान किया जाएगा ।

(ii) अचल परिसंपत्तियों पर इस प्रकार के प्रभार की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता अवधि एक होनी चाहिए ।

(iii) इस 'आपत्ति नहीं ' का यह अर्थ न लिया जाए कि इससे उन्हें समुद्रपारीय उधारदाता/ सिक्यूरिटी ट्रस्टी द्वारा भारत में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) के अधिग्रहण के लिए अनुमति मिल गयी है ।

(iv) ऋण प्रभार के प्रवर्तन/लागू करने की स्थिति में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) भारत में किसी निवासी व्यक्ति को ही बेची जानी चाहिए और बिक्री आगम की राशि बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिसमापन के लिए प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए ।

ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार सुरक्षित करने के लिए प्रवर्तकों द्वारा धारित उधारकर्ता कंपनी साथ ही उधारकर्ता की स्वदेशी सहायक कंपनियों में धारित शेयर गिरवी रखने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं ' प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं :

(i) इस प्रकार के गिरवी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता के साथ मिलती-जुलती होनी चाहिए ।

(ii) गिरवी लागू करने की स्थिति में , अंतरण वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार होना चाहिए ।

(iii) कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक से एक प्रमाणपत्र कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग अनुमत अंतिम उपयोग/उपयोगों के लिए किया गया है/किया जाएगा ।

ग) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत **कंपनी अथवा व्यक्तिगत गारंटी** जारी करने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता को 'अनापत्ति' निम्नलिखित को प्राप्त करने पर सूचित कर सकते हैं :

(i) इस प्रकार की गारंटी जारीकर्ता कंपनी से कंपनी को गारंटी जारी किये जाने के लिए कंपनी के पक्ष में अथवा किसी व्यक्तिगत क्षमता में इस प्रकार की गारंटी निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम दर्शाते हुए बोर्ड का प्रस्ताव ।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे दर्शाते हुए वैयक्तिक गारंटी जारी करने के लिए व्यक्तिगत से विशेष अनुरोध ।

(iii) यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी अथवा वैयक्तिक गारंटी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता की अवधि एक होनी चाहिए ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अनिवार्य रुप से यह स्पष्ट करें कि 'अनापत्ति' विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा के दृष्टीकोण से जारी की जाती है और उसका अर्थ किसी अन्य नियम/विनियम के तहत किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार द्वारा किसी अनुमोदन के रुप में नहीं लगाना चाहिए । यदि संबंधित नियमों /विनियमों के तहत किसी अन्य नियामक/सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार से कोई अनुमोदन अथवा अनुमति अपेक्षित है तो आवेदक को लेनदेन करने से पहले संबंधित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए । साथ ही, 'आपत्ति नहीं ' का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि यह फेमा अथवा किसी अन्य नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों के तहत किन्हीं अनियमितताओं ,उल्लंघन अथवा अन्य गलतियों को नियमित अथवा वैध करने का एक उपाय है ।

(ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

उधारकर्ताओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक एक तो विदेश में रखने अथवा भारत में प्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है ।

विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है। (क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिच आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 से अनधिक रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; और (ख) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत (ग) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की समुद्रपारीय शाखा के पास जमा। निधियों का निवेश इस प्रकार से किया जाये कि जब भी निवेशक को भारत में उनकी आवश्यकता हो तो उनसे नकदी प्राप्त की जा सके ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियां अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों के पास उधारकर्ता रूपया खाते में जमा करने के लिए भारत में प्रेषित भी की जा सकती हैं ।

x) समयपूर्व भुगतान

(क) प्राधिकृत व्यापारी बैंक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

(ख) **विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्खरीद:** पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की असामयिक वापसी खरीद के लिए भारतीय कंपनियों को अब निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर अनुमति दे सकते हैं :

i) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों का वापसी खरीद मूल्य बही मूल्य पर 15 प्रतिशत के न्यूनतम बट्टे तक होना चाहिए ;

ii) वापसी खरीद के लिए प्रयुक्त निधियां एक तो भारत अथवा विदेश में धारित मौजूदा विदेशी मुद्रा निधियों (विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में धारित निधियों सहित)में से और /अथवा मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार मापदण्डों के अनुरूप उठाये गये नये बाह्य वाणिज्य उधार में से होंगी ।

iii) जहां नये बाह्य वाणिज्यिक उधार मूल विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की शेष परिपक्वता के साथ को-टर्मिनस है और तीन वर्षों से कम अवधि के लिए हैं, समग्र लागत सीमा 6 माह लिबोर और 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा अल्पकालिक उधारों के लिए लागू है । अन्य मामलों में, बाह्य वाणिज्यिक उधार की संबंधित परिपक्वता के लिए समग्र लागत सीमा लागू होंगी ।

पुनर्खरीद की समग्र प्रक्रिया 31 दिसंबर 2009 तक पूर्ण की जानी चाहिए । उपर्युक्त शर्तों सहित निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी :

(i) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड मौजूदा दिशा-निर्देशों के पालन पर जारी किये जाने चाहिए ।

(ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत किये जाने चाहिए ; एलआरएन नंबर प्राप्त किया जाए और अद्यतन बाह्य वाणिज्य उधार विवरणियां प्रस्तुत की जाएं ।

(iii) कंपनी के विरूध्द फेमा के उल्लंघन की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है ।

(iv) वापसी खरीद के लिए अधिकार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के जारीकर्ता को प्रदान किया

गया है । तथापि, वास्तविक वापसी खरीद बांड धारक की सहमति की शर्त पर होगी ।

(v) धारकों से वापसी खरीद किये गये / पुनर्खरीद किये गये विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड रद्द किये जाने चाहिए और उन्हें न तो पुन: जारी किया जाये अथवा नहीं उनकी पुन: बिक्री की जाये ।

(vi) पुनर्खरीद से पुनर्खरीद के लिए विकल्प न दिये हुए बांड धारकों पर अथवा पुनर्खरीद के लिए विकल्प दिये हुए कंपनियों के गैर सहभागी बांड धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(vii) भारतीय कंपनी निधियों का उपयोग केवल पुनर्खरीद के लिए किया जाता है यह सुनिश्चित करने हेतु विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्खरीद के लिए किसी भारतीय बैंक समुद्रपारीय शाखा अथवा सहयोगी बैंक अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक में एस्क्रो खाता खोलेगी ।

(viii) पुनर्खरीद पूर्ण होने पर, पुनर्खरीद के ब्योरे जैसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की बकाया राशि, पुनर्खरीद किये गये विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों का बही मूल्य, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्खरीद की दर, समाविष्ट राशि, और निधियों के स्त्रोत दर्शाते हुए एक रिपोर्ट पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के जरिये प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्य उधार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई -400001 को प्रस्तुत की जाए ।

xi) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

कम लागत पर नया ऋण उगाह कर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्त पोषण की अनुमति है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्न समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।

xii) ऋण का भुगतान

सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्त के प्रेषण की सामान्य अनुमति है।

xiii) प्रक्रिया

स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही, मान्यता प्राप्त उधारकर्ता के साथ करार कर सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार drawing down करने से पहले उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करे। ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया पैरा II (i)(ख) में विस्तृत रूप से दी गई है।

I. (आ) अनुमोदन मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के निम्नलिखित किस्म के प्रस्ताव शामिल होंगे।

क) केवल संरचनात्मक अथवा निर्यात वित्त में कार्यरत वित्तीय संस्थाएं जैसे, आइडीएफसी, आइएल एण्ड एफएस, ऊर्जा वित्त निगम, पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन, आइआरसीओएन, और एक्ज़िम बैंक के मामलों में प्रत्येक मामले पर अलग अलग आधार पर विचार किया जाएगा।

ख) सरकार के अनुमोदन के अनुसार टेक्स्टाइल अथवा स्टील क्षेत्र की पुनर्रचना पैकेज में सहभागी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी पैकेज में उनके निवेश की सीमा तक और विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए अब तक लिया गया कोई भी बाह्य वाणिज्यिक उधार उनकी पात्रता राशि में से काट लिया जायेगा ।

ग) संरचनात्मक परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए संरचनात्मक उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, ख्याति प्राप्त क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा **5** वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार।

घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो केवल संरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में ही समाविष्ट हैं , संरचना क्षेत्र में उधारकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए बहुपक्षीय/क्षेत्रीय वित्तीय संस्था और सरकारी स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं ।

ङ) निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करनेवाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड : (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय बिचौलिए की न्यूनतम निवल मालियत **500** करोड़ रूपए से कम नहीं होना चाहिए, (ii) मुंबई शेयर बाज़ार अथवा राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हो, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का न्यूनतम आकार **100** मिलियन अमरीकी डॉलर हो, (iv) आवेदक निधियों के उपयोग का प्रयोजन/ योजना प्रस्तुत करे।

च) विशेष प्रयोजन के माध्यम अथवा विशेष रूप से संरचनात्मक कंपनियों /परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संस्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था वित्तीय मानी जायेगी और ऐसी संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत माना जायेगा।

छ) निम्नलिखित मानदंड पूरा करनेवाली विनिर्माण कार्य में लगी बहुराज्य सहकारी समिति जो कि i) वित्तीय रूप से शोधक्षम हैं और ii) और अपना लेखापरीक्षित अद्यतन तुलनपत्र प्रस्तुत करनेवाली सहकारी समिति

ज) विशेष आर्थिक अंचल विकासक विशेष आर्थिक अंचल के भीतर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में यथा परिभाषित संरचनात्मक सुविधाओं, जैसे (i) उर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेल्वे, (iv) पूलों सहित रस्ते,(v)बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्यौगिक पार्क (vii)शहरी मूलभूत संरचना (जल आपूर्ति,स्वच्छता एवं जल-मल निकासी परियोजना और (viii)खनन,परिष्करन और अन्वेषण प्रदान करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं । फिर भी, विशेष आर्थिक अंचल के भीतर एकीकृत नगररचना और वाणिज्यिक स्थावर संपदा के विकास के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

झ) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति का उल्लंघन करने वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक और /अथवा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिनकी जांच की जा रही है, कंपनियों को अनमोदन मार्ग के तहत ही बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है ।

ञ) पैराग्राफ I (अ)(iii) में उल्लिखित स्वतः अनुमोदित मार्ग सीमाओं और परिपक्वता अवधि के दायरे में न आने वाले मामले।

II) मान्यता प्राप्त उधारदाता

(क) उधारकर्ता अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे (i) अंतरराष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं (जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि), (iv) निर्यात ऋण एजेंसियां और (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ता, (vi) विदेशी सहयोगी और (vii)विदेशी ईक्विटी धारकों(पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकायों से इतर) से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

(ख) विदेशी ईक्विटी धारकों से जहाँ पर कि उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी और ऋण ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारिता के चार गुना से अधिक न हो)।

(iii) राशि और परिपक्वता अवधि

कारपोरेट एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा के अलावा अनुमोदन मार्ग के तहत 10 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वतावाली 250 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। अंतिम उपयोग , समग्र लागत सीमा,मान्यताप्राप्त उधारदाता जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के अन्य मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है। फिर भी, ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पूर्व भुगतान क्रय/विक्रय विकल्प हेतु 10 वर्ष तक अनुमति नहीं होगी ।

iv) समग्र लागत सीमाएं

समग्र लागत सीमा में ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में वायदा फीस के सिवाय और अन्य खर्चे ,समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपए में देय फीस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कर भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत सीमा समय-समय पर सूचित की जाएगी।समग्र लागत सीमा 31 दिसंबर 2009 तक हटा दी गयी है ।तदनुसार, पैरा (क) (iv) में विनिर्दिष्ट अनुमत समग्र लागत सीमा से अधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने का प्रस्ताव रखनेवाले पात्र उधारकर्ता अनुमोदन मार्ग के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं । दिसंबर 2009 में समग्र लागत सीमा में इस छूट की समीक्षा की जाएगी ।

(v) प्रयोजनपरक उपयोग

(क) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही, भारत में केवल स्थावर संपदा क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए [जैसे, पूंजी माल का आयात, (विदेश व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा यथावर्गीकृत) नयी परियोजनाएं, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार] , की जा सकती है। बाह्य वाणिज्यिक

उधार के प्रयोजन के लिए संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा के दायरे में (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) पोर्ट, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी ढांचे (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासी परियोजना) और (viii)खनन.परिष्करण और अन्वेषण आदि आते हैं ।

(ख) विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण में अधिग्रहण और जनता को अनिवार्य दूसरे चरण प्रस्ताव में किया जा सकता है।

(घ) 4 जनवरी 2002 की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआइपीपी,औद्योगिक अनुमोदन सविवालय (एफसी डिविजन),प्रेस नोट 3 (2002 सिरीज) द्वारा यथा परिभाषित एकीकृत नगररचना के विकांस में लगी कंपनियां बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकती हैं । एकीकृत नगररचना में आवास, वाणिज्य परिसर,होटल्स,रिसॉर्टस्,शहर और रस्ते और पूल, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स और भवन निर्माण सामग्री जैसी क्षेत्रीय स्तर की शहरी सुविधाएं शामिल हैं । भूमि विकास और तदनुरूपी संरचना की आपूर्ति नगर विकास का एकीकृत भाग है । विकसित किया जाने वाला क्षेत्र कम से कम 100 एकड़ होना चाहिए और इसके लिए स्थानीय उप-नियमों/नियमों के अनुसार मापदण्डों और मानकों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार के उप-नियमों/नियमों के न होने पर, करीबन दस हजार जनसंख्या पर कम से कम दो हजार निवास इकाईयों की आवश्यकता होगी । यह अनुमति 31 दिसंबर 2009 तक उपलब्ध रहेगी ।

(ङ) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की पुनर्खरीद पैरा 1 (ख) (x)(ग) के तहत दर्शायी गयी शर्तों के अधीन होगी ।

vi) प्रयोजनपरक उपयोग अनुमत नहीं

(क) पैरा I(आ)(i)(क) और पैरा I(आ)(i)(ख) के अंतर्गत पात्र बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त, किसी कंपनी को आगे उधार देने अथवा पूंजी बाजार में निवेश अथवा भारत की किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से)के अधिग्रहण, जमीन-जायदाद , कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रूपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्राप्यों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

(ख) स्थावर संपदा के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्राप्यों के उपयोग की अनुमति नहीं है।तथापि, स्थावर संपदा में 4 जनवरी 2002 की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआइपीपी,औद्योगिक अनुमोदन सविवालय (एफसी डिविजन),प्रेस नोट 3 (2002 सिरीज) द्वारा यथा परिभाषित एकीकृत नगर रचना का विकांस शामिल नहीं है ।

(ग) कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रूपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्राप्यों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

(vii) गारंटी

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सामान्यता बाह्य वाणिज्यिक उधार से

संबंधित गारंटी , आपात साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है । लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधार से संबंधित गारंटी, आपात साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र प्रदान करने के आवेदन पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारतीय कपड़ा-उद्योग में क्षमता विस्तार और तकनीक उन्नयन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से कपड़ा-उद्योग इकाई के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु वस्त्र कंपनियों के बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने पर गारंटी , साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती वचन पत्र के निर्गम पर बैंकों द्वारा विवेकपूर्ण मानदडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

viii) ज़मानत

उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। फिर भी, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे शेयर पर प्रभार का सृजन समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः 03 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/आरबी-2000 के विनियम 8 और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी क्षेणी -। बैंकों को पूर्वोक्त पैरा 1 (क) (viii) में दर्शाये गये अनुसार फेमा 1999 के तहत आवश्यक 'आपत्ति नहीं 'जारी करने के अधिकार दिये गये हैं ।

(ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को भारत में वास्तविक आवश्यकता न होने तक विदेश में रखा जाएगा। विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है (क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिट्स आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 न्यूनतम रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; (ख)उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत, और (ग) समुद्रपारीय शाखा/विदेश में भारतीय बैंकों की सहयोगी संस्था के पास जमा। निधियों का इस तरह निवेश किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर भारत में उधारकर्ता की आवश्यकता पर उसका परिसमापन किया जा सके।

बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियां अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों के पास उधारकर्ता रुपया खाते में जमा करने के लिए भारत में प्रेषित भी की जा सकती हैं ।

x) समयपूर्व भुगतान

(क) प्राधिकृत व्यापारी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

(ख) रिजर्व बैंक अनुमोदन मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान पर विचार करेगा।

(ग) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की पुनर्खरीद: रिज़र्व बैंक निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन अनुमोदन मार्ग के तहत प्रति कंपनी मोचन मूल्य के 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्खरीद के लिए भारतीय कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेगा :

i) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक मोचन मूल्य के लिए बही मूल्य के 25 प्रतिशत का न्यूनतम बट्टा;

ii) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक और 75 मिलियन अमरीकी डॉलर तक मोचन मूल्य के लिए बही मूल्य के 35 प्रतिशत का न्यूनतम बट्टा;और

iii) 75 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक और 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक मोचन मूल्य के लिए बही मूल्य के 50 प्रतिशत का न्यूनतम बट्टा;और

iv) पुनर्खरीद के लिए प्रयुक्त निधियां अंतरिक उपचयों में से, सांविधिक लेखा-परीक्षक और पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के प्रमाणपत्र द्वारा साक्ष्यांकित होनी चाहिए ।

पुनर्खरीद की पूर्ण प्रक्रिया 31 दिसंबर 2009 तक पूर्ण होनी चाहिए ।

उपर्युक्त में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी :

(i) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड मौजूदा दिशा-निर्देशों के पालन पर जारी किये जाने चाहिए ।

(ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत किये जाने चाहिए ; एलआरएन नंबर प्राप्त किया जाए और अद्यतन बाह्य वाणिज्य उधार विवरणियां प्रस्तुत की जाएं ।

(iii) कंपनी के विरुध्द फेमा के उल्लंघन की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है ।

(iv) वापसी खरीद के लिए अधिकार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के जारीकर्ता को प्रदान किया गया है । तथापि, वास्तविक वापसी खरीद बांड धारक की सहमति की शर्त पर होगी ।

(v) धारकों से वापसी खरीद किये गये / पुनर्खरीद किये गये विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड रद्द किये जाने चाहिए और पुन: जारी अथवा पुन: बिक्री नहीं किये जाने चाहिए ।

(vi) पुनर्खरीद से पुनर्खरीद के लिए विकल्प न दिये हुए बांड धारकों पर अथवा पुनर्खरीद के लिए विकल्प दिये हुए कंपनियों के गैर सहभागी बांड धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(vii) भारतीय कंपनी निधियों का उपयोग केवल पुनर्खरीद के लिए किया जाता है यह सुनिश्चित करने हेतु विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्खरीद के लिए किसी भारतीय बैंक समुद्रपारीय शाखा अथवा सहयोगी बैंक अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक में एस्क्रो खाता खोलेगी ।

(viii) पुनर्खरीद पूर्ण होने पर, पुनर्खरीद के ब्योरे जैसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की बकाया राशि, पुनर्खरीद किये गये विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों का बही मूल्य, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्खरीद की दर, समाविष्ट राशि, और निधियों के स्त्रोत दर्शाते हुए एक रिपोर्ट पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के जरिये प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्य उधार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई -400001 को प्रस्तुत की जाए ।

xi) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

कम लागत पर नया ऋण उगाह कर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्त पोषण की अनुमति है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्न समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।

xii) ऋण चुकौती

सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिदेशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन /ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्तों के प्रेषण की सामान्य अनुमति है।

xiii) प्रक्रिया

आवदेक आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फार्म ईसीबी में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई 400 001 को आवदेनपत्र प्रस्तुत करें।

xiv) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड योजना

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी)से वह बांडअभिप्रेत है जो कि विदेशी मुद्रा में जारी किया जाये और जिसकी मूल तथा ब्याज दोनों की राशि विदेशी मुद्रा में देय हों , जो निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो और भारत के बाहर रहनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है, जो या तो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अथवा ऋण लिखतों से संबध्द की किसी ईक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड किसी आसानी से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग में होंगे।

पात्र जारीकर्ता: जारीकर्ता कंपनी, ऑफर्ड कंपनी के प्रवर्तक समूह की होगी और विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय प्रदत्त/ दिये जानेवाले ईक्विटी शेयर उसके पास रहेंगे ।

ऑफर्ड कंपनी: ऑफर्ड कंपनी एक सूचीबध्द कंपनी होगी जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पाने के लिए पात्र क्षेत्र में कार्यरत है तथा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) अथवा बाह्य वाणिज्यिक उधार जारी करने अथवा उसका लाभ उठाने हेतु पात्र होगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु अपात्र कंपनियां :

एक भारतीय कंपनी, जो कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार में जाने पर रोक लगायी गई किसी कंपनी सहित भारतीय प्रतिुभूति बाजार से निधियां जुटाने के लिए अपात्र भारतीय कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु पात्र न होगी ।

पात्र अभिदाता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा सेक्टोरल कैप संबंधी निर्देशों का पालन करनेवाली कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी कर सकती हैं । विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत यथावश्यक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति कर लेना चाहिए ।

कंपनियां जो विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र नहीं हैं :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री तथा अन्य किसी प्रकार से उनका कारोबार करने से प्रतिबंधित कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र न होंगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से आगत का प्रयोजनपरक उपयोग:

निर्गम कंपनी :

(i) संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय निवेश पर मौजूदा

दिशा-निर्देशों के तहत, विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि, समुद्रपारीय निर्गम कंपनी द्वारा, विदेश में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं सहित प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, निवेश की जा सकती है ।

(ii) निर्गम कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि प्रवर्तक समूह की कंपनियों में निवेश की जा सकती है ।

प्रवर्तक समूह की कंपनियां :

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की आगत आय से निवेश प्राप्त करनेवाली प्रवर्तक समूह की कंपनियां, बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्धारित उद्दिष्ट उपयोग के लिए राशि का उपयोग कर सकते हैं ।

प्रयोजनपरक उपयोग अनुमत नहीं :

ऐसे निवेश प्राप्त करनेवाली प्रवर्तक समूह की कंपनियों निवेशों से प्राप्त शन का पूंजी बाजार अथवा स्थावर संपदा में उपयोग करने की अनुमति नहीं है ।

समग्र लागत : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) पर देय ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा में किये गये निर्गम खर्चे, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र लागत सीमा के भीतर होंगे ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी)पर मूल्य अंकित करना : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने के समय प्रस्तुत सूचीबध्द इक्विटी शेयरों का विनिमय मूल्य निम्नलिखित दो उच्चतर स्थितियों से कम नहीं होना चाहिए :

(i) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती छ: महीनों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगानेवाली कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत ।

(ii) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती दो सप्ताहों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगानेवाली कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत ।

औसत परिपक्वता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की परिपक्वता अवधि कम से कम पांच वर्ष होगी । विनिमय का विकल्प, शोधन तारीख से पहले, कभी भी दिया जा सकता है । विनिमय का विकल्प देने पर विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी)के धारक को दिये जानेवाले शेयर की सुपुर्दगी लेनी होगी । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) के लिए नकदी भुगतान अनुमत नहीं होगा ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से आगत राशि को विदेशों में रखना :

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त होनेवाली आय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्गम कंपनियों /समुद्रपारीय कंपनियों द्वारा विदेशों में रखी जायेगी/नियोजित कर दी जाएगी ।यह निर्गम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि आय से प्राप्त होनेवाली आय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्धारिति केवल अनुमत प्रयोजनपरक- उपयोग से प्राप्त आय की, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित ऑडिट ट्रायल भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ।

परिचालनगत प्रक्रिया- विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी)जारी करने के लिए अनुमोदित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से संबंधित सूचना देने की व्यवस्था वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार रहेगीा ।

xv अधिकार प्रदत्त समिति

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आनेवाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिकार प्रदत्त समिति गठित की गयी है।

II . रिपोर्ट करने की व्यवस्था और सूचना प्रसारण

(i) रिपोर्ट करने की व्यवस्था

(क) प्रकिया को सरल बनाने के विचार से ऋण करार की प्रतिलिपि की प्रस्तुत करना बंद कर दिया गया है।

(ख) ऋण पंजीयन संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे कंपनी सचिव अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित फार्म 83 की दो प्रतियां नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करें। एक प्रति नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यकीय प्रभाग, सांख्यकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400 051 को भेजी जाए। [नोट:ऋण करार, एफसीसीबी के लिए प्रस्ताव दस्तावेज को फार्म 83 के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।]

(ग) उधारकर्ता सांख्यकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करने के बाद ऋण में आहरण द्वारा कमी कर सकते हैं।

(घ) उधारकर्ता ईसीबी-2 विवरणी नामित प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित कराकें मासिक आधार पर इस प्रकार भेजें कि वह सांख्यकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से सात कार्य-दिवसों के भीतर मिल जाए।

[नोट : बाह्य वाणिज्यिक उधार अर्थात् ईसीबी 3-ईसीबी 6 से संबंधित सभी अन्य विवरणियां 31 जनवरी 2004 से बंद कर दी गई हैं।]

II . सूचना प्रसारण

अधिक पारदर्शिता के लिए स्वत: अनुमोदित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता का नाम, राशि, का प्रयोजन और उसकी परिपक्वता अवधि के संबंध में जानकारी एक माह, जिससे यह संबंधित है , के अंतराल मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट http://www.rbi.org.in/scripts/ECBView.aspx पर डाली जाती है।

III. संरचित दायित्व

दो निवासियों के बीच भारतीय रुपयों में उधार लेना और देना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के किसी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है । ऐसे मामलों में किसी अनिवासी द्वारा दी गयी गारंटी के लिए रुपया ऋण दिया जाता है, तो गारंटी लागू किये जाने तक विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं होता है और अनिवासी गारंटीकर्ता को गारंटी के अंतर्गत देयता चुकाना आवश्यक होता है । अनिवासी गारंटीकर्ता i) भारत में धारित शेष रुपयों में से भुगतान करते हुए ii) भारत को निधियां प्रेषित करते हुए अथवा

iii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक में रखे गये अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए देयता चुका सकता है । ऐसे मामलों में, अनिवासी गारंटीकर्ता राशि की वसूली के लिए निवासी उधारकर्ता के विरूद्ध अपने दावे के लिए दबाव डाल सकता है और यदि देयता आवक प्रेषण द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है तो वसूली किये जाने पर वह राशि के प्रत्यावर्तन के लिए मांग कर सकता है । तथापि, यदि बकाया रुपयों में से भुगतान करते हुए देयता चुकायी जाती है तो वसूल की गयी राशि अनिवासी गारंटीकर्ता के अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जा सकती है ।

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा.29/आरबी-2000 के जरिये भारत से बाहर किसी व्यक्ति, जिसने गारंटी के तहत देयता चुकायी है, को भुगतान करने के लिए मूल देनदार होने के कारण निवासी को सामान्य अनुमति प्रदान की है । तदनुसार, जहां अनिवासी द्वारा देयता भारत को प्रेषित निधियों में से अथवा अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है , पुनर्भुगतान गारंटीकर्ता के अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते /अनिवासी सामान्य खाते में नामे डालते हुए किया जा सकता है बशर्ते प्रेषित/जमा की गयी राशि लागू की गयी गारंटी के लिए अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा अदा की गयी राशि के समतुल्य रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

घरेलू रूप से संसाधन उगाहने और हेज विनिमय दर जोखिमों से बचाव के लिए कंपनियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से घरेलू रुपया मूल्यवर्गित संरचित दायित्वों को अंतरराष्ट्रीय बैंकों/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम साझीदारों द्वारा ऋण में बढ़ोत्तरी किए जाने की अनुमति है। ऐसे आवेदनों पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।

IV. बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निदेशों का अनुपालन

बाह्यय वाणिज्यिक उधार मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिज़र्व बैंक के विनियमों/ निदेशों के अनुरूप उधार उगाहे/ उपयोग किए गए, यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उधारकर्ता की है तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा फेमा, 1999 (फरवरी 1, 2005 के (ए.पी.डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31) के तहत आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रमाणीकरण के समय बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही/उपयोग के बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा-निदेशों के अनुरूप है।

V. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है -

(क) कंपनी के कार्यकलापों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत कवर किया जाता है अथवा विदेशी ईक्विटी सहभागिता के लिए कंपनी ने, जहां लागू हो, सरकारी अनुमोदन के लिए अनुमति ली है।

(ख) ऋण के ईक्विटी में ऐसे परिवर्तन के बाद विदेशी ईक्विटी धारिता यदि कोई हो, के क्षेत्रीय सीमा के अंदर है।

(ग) सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध कंपनियों, जैसा मामला हो, के संबंध में शेयरों का मूल्यांकन सेबी और पूर्ववर्ती सीसीआई के दिशा-निदेशों/ विनियमों के अनुसार है।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन की सूचना निम्नानुसार रिज़र्व बैंक को दी जाएगी :

(क) उधारकर्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे **बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तन** की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर में साथ ही फार्म ईसीबी-2 में सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को संबंधित माह की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर दें। शब्द " ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" फार्म ईसीबी-2 के ऊपर साफ-साफ लिखा जाए। एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, अनुवर्ती माह में ईसीबी-2 जमा करने की जरूरत नहीं है।

(ख) **बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में आंशिक परिवर्तन के मामले में** उधारकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे फार्म एफसी-जीपीआर में परिवर्तित भाग की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें साथ ही अपरिवर्तित हिस्से से परिवर्तित हिस्से को अलग करते हुए स्पष्ट रूप से फार्म ईसीबी-2 में दें। शब्द "ईक्विटी में आंशिक परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" ईसीबी-2 फार्म के ऊपर लिखा जाए। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया भाग की रिपोर्ट सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को ईसीबी-2 फार्म में दी जाए।

VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार में को पारदर्शिता लाना

रुपये में भारत में कंपनियों द्वारा उगाही गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए दी गई गारंटियों में से उत्पन्न अपनी विदेशी मुद्रा देयता को पारदर्शी बनाने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को पूर्ण ब्योरे अर्थात् उधारकर्ता का नाम, उगाही गई राशि, परिपक्वता अवधि, गारंटी/ चुकौती का आश्वासन देनेवाले पत्र की परिस्थितियां, छूट की तारीख, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक की समुद्रपारीय शाखा की देयताओं पर उसका प्रभाव और अन्य संबंधित तथ्य देते हुए प्रस्तुत करें।

VII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार

नामित प्राधिकृत व्यापारी को पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के तहत उगाहे गए ऋणां के लिए चुकौती अवधि के विस्तार को अनुमोदित करने की अनुमति है बशर्ते बगैर किसी अतिरिक्त लागत के ऐसे पुनः निर्धारण के लिए समुद्रपारीय उधारदाताओं से

सहमति पत्र प्राप्त किया जाता है। मूल/ ऋण पंजीकरण संख्या के साथ वर्तमान और संशोधित चुकौती सूची के साथ ऐसे अनुमोदन की सूचना मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई को अनुमोदन के 7 दिनों के अंदर और इसके बाद ईसीबी-2 में दी जाए।

भाग-II: भारत में आयात के लिए व्यापारिक ऋण

"व्यापार ऋण" का आशय तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयात के लिए सीधे ही दिए गए ऋण से है। वित्त के स्रोत के आधार पर, ऐसे व्यापारिक ऋण में आपूर्तिकर्ता का ऋण अथवा क्रेता का ऋण शामिल है। आपूर्तिकर्ता ऋण का संबंध समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयातों के लिए दिया जाने वाला ऋण है,जबकि क्रेता ऋण भारत में आयात के लिए किए जाने वाले भुगतान हेतु आयातक द्वारा भारत से बाहर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से तीन वर्ष से कम की परिपक्वता वाले ऋण की व्यवस्था करना है। यह ध्यान रहे कि तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि के क्रेता ऋण और आपूर्तिकर्ता ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(क) राशि और परिपक्वता अवधि

प्राधिकृत व्यापारी बैंक , विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)की विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में आयात के लिए , एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले (पोतलदान की तारीख से) अनुमत आयातों के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन के हिसाब से व्यापारिक उधार अनुमोदित कर सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा यथावर्गीकृत पूंजी माल आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के लिए एक वर्ष से अधिक और पोतलदान की तारीख से तीन वर्ष से कम परिवक्वतावाले व्यापार ऋण अनुमोदित कर सकते हैं। अनुमत अवधि से अधिक के लिए किसी भी प्रकार के स्वतः समय विस्तार / विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन से अधिक के व्यापारिक ऋण का अनुमोदन नहीं करेंगे।

ख)   समग्र लागत सीमा

वर्तमान समग्र लागत सीमा निम्नानुसार हैं:

परिपक्वता अवधि	छ : माह तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागत सीमा
तीन वर्ष तक	200 आधार अंक

* ऋण की अपनी-अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

समग्र लागत सीमा में व्यवस्थापक शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, लदाई-उतराई/प्रॉसेसिंग प्रभार, फुटकर और कानूनी खर्च, यदि कोइ हो, शामिल होंगे।

ग)   गारंटी

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेश व्यापार महानिदेशालय की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी गैर-पूंजीगत आयातों (स्वर्ण,पल्लाडियम,आदि को छोड़कर) हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए और पूंजीगत माल के आयात हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन प्रति लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के लिए समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियां / वचनपत्र / साखपत्र जारी करने की अनुमति है। ऐसे गारंटियों/ वचनपत्रों/ साखपत्रों की अवधि ऋण अवधि के अनुकूल हो और उसकी गणना पोत पर माल लदान की तारीख से की जाए।

घ)   रिपोर्टिंग व्यवस्था

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अप्रैल 2004 से फार्म टीसी (संलग्नक IV में दिए गए फार्मेट) में माह के दौरान अपने सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक ऋण के अनुमोदनों, आहरणों, उपयोगों और चुकौती का समेकित विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को (और एमएस-एक्ज़ेल फाइल में ईमेल द्वारा deapdif@rbi.org.in को) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक पहुंच जाए। प्रत्येक व्यापारिक ऋण को प्राधिकृत व्यापारी एक अनन्य पहचान संख्या दें।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा जारी गारंटियों/वचनपत्रों/ लेटर ऑफ कंफर्ट संबंधी आंकड़ों का एक समेकित विवरण तिमाही अंतराल पर (संलग्नक V के फार्मेट में) मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंजिल, मुंबई 400001 को (और fedcoecbd@rbi.org.in को ईमेल के माध्यम से MS-Excel फाइल में) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाए।

अनुबंध I

फार्म ईसीबी

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही के लिए आवेदन

अनुदेश

आवेदक, पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रभारी मुख्य माप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को प्रेषित करे।

प्रलेखन

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज (जो संबंधित हो), आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएं ;

(i) समुद्रपारीय उधारकर्ता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के सभी शर्तों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्ताव पत्र की एक प्रति।

(ii) आयात संविदा की एक प्रति, प्रोफार्मा / वाणिज्यिक बीजक / लदान बिल।

भाग-अ- उधारकर्ता के बारे में सामान्य ब्योरे

1. आवेदक का नाम
   (साफ अक्षरों में)
   पता

2. आवेदक का स्टेटस,
   i) निजी क्षेत्र
   ii) सार्वजनिक क्षेत्र

भाग-आ-प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

	मुद्रा	राशि	अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि
1. **बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे**			

(क) बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रयोजन

(ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप [कृपया उचित बॉक्स में (x) लिखें]

(i) आपूर्तिकर्ता ऋण	
(ii) क्रेता ऋण	

(iii) सामूहिक ऋण

(iv) निर्यात ऋण

(v) विदेशी सहयोगी / ईक्विटी धारक से ऋण (राशि, उधारकर्ता कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में ईक्विटी धारिता प्रतिशत के ब्योरे सहित)

(vi) अस्थायी दर वाले नोट

(vii) नियत दर वाले बांड

(viii) ऋण सहायता

(ix) वाणिज्यिक बैंक ऋण

(x) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

ग) बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तें :

(i) ब्याज दर :

(ii) वैध शुल्क (अप-फ्रंट फी) :

(iii) प्रबंधन शुल्क :

(iv) अन्य प्रभार, अगर कोई हो तो (कृपया उल्लेख करें) :

(v) समग्र लागत :

(vi) वायदा शुल्क :

(vii) दंडस्वरूप ब्याज की दर :

(viii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवधि :

(ix) क्रय/विक्रय विकल्प के ब्योरे, अगर कोई हो तो :

(x) रियायत/अधिस्थगन अवधि :

(xi) चुकौती की शर्तें (अधवार्षिक/वार्षिक/बुलेट) :

(xii) औसत परिपक्वता

2. उधारदाता के ब्योरे

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

---

3. दी जाने वाली सेक्यूरिटी, यदि कोई हो, का स्वरूप

भाग इ - आहरण द्वारा कमी और चुकौती संबंधी सूचना

प्रस्तावित सूची								
आहरण द्वारा कमी			मूलधन की चुकौती			ब्याज का भुगतान		
माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि

भाग ई - अतिरिक्त सूचना

1. परियोजना संबंधी सूचना

i) परियोजना का नाम और स्थान :

ii) परियोजना की कुल लागत : रु अमरीकी डॉलर

iii) परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार :

iv) परियोजना का स्वरूप :

v) क्या वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है :

vi) संरचनात्मक क्षेत्र : :

- क) बिजली
- ख) दूरसंचार
- ग) रेलवे
- घ) पुल समेत रोड
- ङ) पोर्ट
- च) औद्योगिक पार्क
- छ) शहरी संरचना - पानी की आपूर्ति, सैनिटेशन और सीवरेज

vii) क्या किसी सांविधिक प्र धिकरण से मंजूरी की जरूरत है ? :

अगर हां, तो प्राधिकरण का नाम बताएं मंजूरी सं. और दिनांक का उल्लेख करें ।

2. चालू और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लिया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार (पहली बार के उधारकर्ताओं के लिए लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि	वितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तारीख को चुकौतियों का निवल, अगर कोई हो तो ।

भाग उ - प्रमाणीकरण

1. आवेदक द्वारा -

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं और (ii) उगाही जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग अनुमत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

____

(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _______________
नाम : ___________________________________

दिनांक ______________ मुहर

पदनाम : _________________________________

फोन सं. : ________________________________

फैक्स सं. : _______________________________

ई-मेल : _________________________________

---

2. **प्राधिकृत व्यापारी द्वारा -**

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (i)आवेदक हमारा ग्राहक है (ii) हमने उधारदाता / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आवेदन और प्रस्ताव के मूल पत्र और प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और उसे सही पाया है।

____
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _______________
नाम : ___________________________________
दिनांक ______________मुहर

बैंक/शाखा का नाम : _______________________
प्राधिकृत व्यापारी कूट

फार्म 83

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत ऋण करार ब्योरों की सूचना
(ईसीबी के सभी श्रेणियों और किसी भी राशि के लिए)

अनुदेश :

1. उधारकर्ता, कंपनी सचिव (सीएस) अथवा सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा प्रमाणित फार्म 83, पूर्णतः भरकर, दो प्रतियों में, नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करें। नामित प्राधिकृत व्यापारी इसकी एक प्रति ऋण पंजीकरण संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ता और उधारदाता के बीच हुए ऋण करार के हस्ताक्षर की तिथि से 7 दिनों के भीतर, निदेशक भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यकीय विश्लेषण कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि), भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, मुंबई 400051 को भेजी जानी है।
2. कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ें। प्रत्येक मद के लिए पूरे ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशेष मद लागू न हो वहां 'लागू नहीं' लिखें।
3. सभी तिथियां **YYYYY/MM/DD** के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21जनवरी 2004 के लिए 2004/01/21
4. रिज़र्व बैंक को फार्म 83 अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि फार्म सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।
5. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो फार्म के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रम संख्या दी जाए।
6. विकास वित्तीय संस्थाओं/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के जरिए उप-ऋण प्राप्त करने वाली कंपनियां/ फर्में यह फार्म न भरें किंतु रिपोर्टिंग के लिए सीधे ही संबंधित वित्तीय संस्था से संपर्क करें।

रिज़र्व बैंक (सांविकंसेवि)के उपयोग के लिए	लोन की :										

सीएस-डीआरएमएस समूह	प्राप्ति तारीख	कार्रवाई की तारीख	ऋण वर्गीकरण	

करार ब्योरे (बाह्य वाणिज्यिक उधारों के उधारकर्ताओं द्वारा भरा जाए)

भाग अ : मूल ब्योरे										
ईसीबी टाइटल / परियोजना										
पंजीकरण संख्या										

रिज़र्व बैंक की अनुमोदन सं. और तारीख(यदि लागू हो)										
लोन की सं. (रिज़र्व बैंक/ सरकार द्वारा आबंटित)										
करार दिनांक (YYYY/MM/DD)					/			/		

मुद्रा का नाम		मुद्रा कूट (स्विफ्ट)			

राशि (विदेशी मुद्रा में)											रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए

गारंटी हैसियत			गारंटीकर्ता (नाम, पता, संपर्क सं. आदि)	

(बॉक्स 1 के अनुसार कूट का प्रयोग करें) ↑					विविध मुद्रा प्रकार		

उधारकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) संपर्की व्यक्ति का नाम : पदनाम : फोन सं : फैक्स सं. : ई-मेल आइडी :	उधारदाता/ विदेशी आपूर्तिकर्ता/ पट्टाकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) देश : ई-मेल आइडी :

				(रिज़र्व बैंक, सांविकंसेवि के उपयोग के लिए)					(रिज़र्व बैंक, सांविकंसेवि के उपयोग के लिए)

उधारकर्ता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)	उधारदाता की श्रेणी

सार्वजनिक क्षेत्र इकाई		निजी क्षेत्र इकाई		

श्रेणी का ब्योरा (नीचे टिक लगाएं)				बहुपक्षीय संस्था
		बैंक		विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)
		गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी | पंजीकरण सं.		निर्यात ऋण/ बीमा संस्था
		वित्तीय संस्था (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से इतर)		विदेश में कार्यरत भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा
		कंपनी		अन्य वाणिज्य बैंक
		व्यष्टि वित्त गतिविधियों में लगी गैर		माल के आपूर्तिकर्ता

	सरकारी संगठन			
	अन्य (स्पष्ट करें)			पट्टादायी कंपनी/ वित्तीय कंपनी
				विदेशी सहभागी/ विदेशी ईक्विटी धारक (उधारकर्ता कंपनी के प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारित राशि और प्रतिशत के ब्योरे सहित)
				अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार
				अन्य (स्पष्ट करें)

उधारकर्त्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी इक्विटी धारिता के ब्योरे: (क)उधारकर्त्ता का प्रदत्त इक्विटी में शेयर (%)		(ख) प्रदत्त इक्विटी की राशि	
प्राधिकृत व्यापारी का नाम, बैंक कूट लिखें		उधारदाता का संदर्भ/ आइबीआरडी सं.(यदि व आइबीआरडी ऋण ा तो)	

बैंक कूट भाग I :								
भाग II :								
फैक्स : ई-मेल आइडी :								

भाग आ : अन्य ब्योरे							
ईसीबी अनुमोदन योजना (उचित बॉक्स में टिक लगाएं)			परिपक्वता ब्योरे				
स्वत:अनुमोदित मार्ग			ऋण की प्रभावी तिथि				
अनुमोदित मार्ग			वितरण की अंतिम तिथि				
सरकारी द्वारा अनुमोदित			परिपक्वता तिथि (अंतिम भुगतान तिथि)				
			रियायत अवधि (वर्ष / मा)	व	व	म	म
			आर्थिक क्षेत्र / उद्योग कूट (बॉक्स 3 देखें)				
उधार राशियों का प्रयोजन कूट (बॉक्स 2 देखें)							
यदि आयात है तो आयात के देश का नाम स्पष्ट करें (यदि एक से अधिक देश हैं,तो ब्योरे संलग्न करें)							

ईसीबी के प्रकार				
		खरीदार का ऋण		आपूर्तिकर्ता का ऋण
		ऋण सहायता		द्विपाक्षिक स्रोतों से निर्यात ऋण
		वाणिज्यक ऋण/ सामूकि ऋण (ऋणदाता के बीच प्रतिशत वितरण के लिए पत्रक संलग्न करें)		प्रतिभूतिकृत लिखत - बांड, सीपी, एफआरएन, आदि
		वित्तीय पट्टा		अन्य (स्पष्ट करें)

		पुराने ईसीबी को पुनर्वित्त : पुराने ईसीबी की पंजीकरण सं.									

अनुमोदन सं.	तारीख :	पुनर्वित्त राशि :
कारण :		

जिसके उपयोग करके वायदा रक्षा जोखिम		ब्याज दर स्वॉप		मुद्रा स्वॉप (स्पष्ट करें)	अन्य	

भाग इ : लेनदेन की अनुसूची

ब्याज भुगतान अनुसूची :

पहली भुगतान तिथि					/			/			वर्ष के दौरान भुगतानों की संख्या			

नियत दर				.			

अस्थायी दर आधार		मार्जिन		कैप नियत दर : न्यूनतम नियत दर :

आहरण द्वारा कमी की अनुसूची

श्रृंखला सं.	दिनांक (ववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	यदि एक से ज्यादा एक समान किस्तों	
	(कृपया नीचे टिप्पणी देखें)			आरणों की कुल सं.	कैलेंडर वर्ष में आरणों की संख्या

टिप्पणी	1.	माल और सेवाओं के **आयात** के मामले में आरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तिथि प्रस्तुत की जाए।
	2.	**वित्तीय पट्टे** के मामले में मालों के अधिग्रण (आयात) की तिथि को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में लिखा जाए।
	3.	**प्रतिभूतिकृत लिखत** के मामले में, जारी करने की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में दर्शाया जाए।

	4.	आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए।

मूल चुकौती अनुसूची

तिथि (ववव/मम/दिदि) (प्रथम चुकौती तिथि)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि	यदि एक से अधिक एकसमान किस्तों तो		वाषिक दर (यदि वार्षिक भुगतान ो)
			किस्तों की संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या	

यदि ऋण करार में वे विकल्प हैं तो उचित बॉक्सों में कृपया टिक करें :	क्रय प्रतिशत विकल्प : ☐ ऋण का	विक्रय प्रतिशत विकल्प : ☐ ऋण का
दिनांक(दिनांकों) के बाद निष्पादित किया जा सकता है।	/ /	/ /

टिप्पणी : वार्षिकी भुगतान के मामले में कृपया मूल राशि के प्रत्येक समान किस्त और दर के साथ ब्याज की राशि दर्शाएं। यदि मूल चुकौती के लिए प्रतिशत प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं तो प्रतिशत भी दर्शाया जाए।

विलंब भुगतान के लिए दांडिक ब्याज	नियत मार्जिन	प्रति वर्ष अथवा आधार प्रतिशत:
प्रतिबद्धता प्रभार	प्रति वर्ष अनाहरित राशि का प्रतिशत	का प्रतिशत :

अन्य प्रभार

प्रभार का स्वरूप	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
(स्पष्ट करें)				एक वर्ष में भुगतानों की सं.	भुगतानों की कुल सं.

भाग ई :चालू और पिछले तीन वित्तीय में ली गई ईसीबी -(पहली बार उधार लेने वाले को लागू नहीं)

वर्ष	पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि	वितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तिथि पर चुकौती की निवल, यदि कोई हो।

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी है।

स्थान : ______________ मुहर

____

दिनांक : ______________ (कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम : ___________________________

पदनाम : _____________________

____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार का - हस्ताक्षर)

महुर नाम

____

(प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसके अतिरिक्त बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा निदेशों के अनुरूप है।

स्थान : _____________ मुहर

____

दिनांक: _____________ (प्राधिकृत अधिकारी का स्ताक्षर)

नामः

पदनाम :

बैंक/शाखा का नाम :

बैंककूटः

____

बॉक्स 1 : गारंटी स्थिति कूट		
क्रम सं.	कूट	वर्णन
1	जीजी	भारत सरकार गारंटी
	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र गारंटी
2	पीबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक गारंटी
3	एफआइ	वित्तीय संस्था गारंटी
4	एमबी	बुपक्षीय/ द्विपक्षीय संस्था गारंटी
5	पीजी	निजी बैंक गारंटी
6	पीएस	निजी क्षेत्र गारंटी
7	एमएस	परिसंपत्ति / प्रतिभूति का बंधक
8	ओजी	अन्य गारंटी
9	एसएन	गारंटीकृत नहीं

बॉक्स 2 : उधार कूट का प्रयोजन		
क्रम सं.	कूट	वर्णन
1	आइसी	पूंजी माल का आयात
2	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)
3	एसएल	ऑन लेंडिंग अथवा सब लेंडिंग
4	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती
5	एनपी	नई परियोजना
6	एमई	विद्यमान इकाइयों का नूतनीकरण/ विस्तार
7	पीडब्ल्यू	ब्जिली
8	टीएल	दूरसंचार
9	आरडब्ल्यू	रेलवे
10	आरडी	रोड
11	पीटी	बंदरगाह
12	आइएस	औद्योगिक पार्क
13	यूआइ	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
14	ओआइ	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
15	डीआइ	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का

					विनिवेश
			16	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पेकेज
			17		माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
			18	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

बॉक्स 3 : औद्योगिक कूट प्रयोग में लाए जाएँ

उद्योग समू का नाम	उद्योग का वर्णन	कूट
बागान	चाय	111
	कॉफी	112
	रबड़	113
	अन्य	119
खनन	कोयला	211
	धातु	212
	अन्य	219
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद		300
विनिर्माण		
कृषि उत्पाद (400)	खाद्यान्न	411
	पेय पदार्थ	412
	चीनी	413
	सिगरेट / तंबाकू	414
	ब्रुअरी और डिस्टिलरी	415
	अन्य	419
कपड़ा उत्पाद (420)	सूती वस्त्र	421
	जूट और कॉइर (नारियल जटा)	422
	रेशम और रयॉन	423
	अन्य वस्त्र	429
परिवहन उपकरण (430)	ऑटोमोबाइल	431
	ऑटो उपकरण और पुर्जे	432
	जहाज़ निर्माण उपकरण और गोदाम	433
	रेलवे उपकरण और गोदाम	434
	अन्य	439
मशीन और औजार (440)	कपड़ा मशीनें	441
	कृषि मशीनें	442

	मशीन औजार	443
	अन्य	449
धातु और धातु उत्पाद (450)	फेर्रस (लोहा और इस्पात)	451
	नॉन-फेर्रस	452
	अन्य	459
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक माल और मशीनें (460)	इलेक्ट्रिकल माल	461
	केबल	462
	कंप्यूटर हार्डवेअर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली	463
	इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, ट्यूब और अन्य	464
	अन्य	469
रसायन और संबंधित उत्पाद (470)	खाद	471
	रंग और रंग सामग्री	472
	दवाइयां और फार्मस्युटिकल्स	473
	पेंट और वार्निशिंग	474
	साबुन, डिटर्जेंट, शॉम्पू, शेविंग उत्पाद	475
	अन्य	479
अन्य उत्पाद (480)	सीमेंट	481
	अन्य निर्माण सामग्री	482
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	483
	लकड़ी के उत्पाद	484
	रबड़ माल	485
	कागज़ और कागज़ उत्पाद	486
	टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण	487
	छपाई और प्रकाशन	488
	विविध	489
व्यापार		500
निर्माण और टर्न की परियोजनाएं		600
परिवहन		700
उपयोगिता वस्तुएं (800)	बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण	811
	अन्य	812
बैंकिंग क्षेत्र		888
सेवाएं		900

दूरसंचार सेवाएं		911
सॉफ्टवेअर विकास सेवाएं		912
	तकनीकी इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाएं	913
	दौरे और यात्रा सेवाएं	914
	कोल्ड स्टोरेज, कैनिंग और गोदाम सेवाएं	915
	मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन सेवाएं	916
वित्तीय सेवाएं		917
परिवन सेवाएं		919
अन्य (जिन्हें और कहीं वर्गीकृत न किया गया हो)		999

अनुबंध- III

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों को रिपोर्टिंग

(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)

माह _____________ की विवरणी

1. ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरा जाना चाएि। इसे माह के अंत से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि), भुगतान संतुलन सांख्यकीय प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाएि। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न ह ोने की स्थिति में **"कुछ नहीं"** विवरणी भेजी जानी चाहिए।
2. कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने ऱ्लागू नहींट लिखें।
3. सभी तिथियां ववvव/मम/दिदि के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21जनवरी 2004 के लिए 2004/01/21
4. डीएफआइ/बैंकों/गैर-बैंकिंगवित्तीय संस्थाओं, आदि से उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
5. रिज़र्व बैंक (सांविकंसेवि) को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि विवरणी सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।

6. यूनीक ऋण पहचान सं./रिज़र्व बैंक पंजीकरण सं. (फरवरी 01, 2004 से पहले अनुमोदित ऋण के मामले में) रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित किए गए अनुसार दिया जाना चाहिए। वैसे ही, ऋण पंजीकरण सं. (01फरवरी 2004 के बाद) दिया जाना चाहिए।

7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।

8. आहरण द्वारा कमी के उपयोग के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग किया जाए।

बॉक्स 1 : उपयोग के प्रयोजन के लिए कूट					
सं.	कूट	वर्णन	सं.	कूट	वर्णन
1	आईसी	पूंजी माल का आयात	12	टीएल	दूरसंचार
2	आई एन	गैर-पूंजी माल का आयात	13	आरडब्ल्यू	रेलवे
3	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	14	आरडी	रोड
4	आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	15	पीटी	पोर्ट
5	एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	16	आईएस	औद्योगिक पार्क
6	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	17	यू आई	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
7	आई पी	ब्याज भुगतान	18	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
8	एचए	विदेश में धारित राशि	19	आईटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
9	एनपी	नई परियोजना	20	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
10	एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार	21	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पेकेज
11	पीडब्ल्यू	बिजली	22	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
			23	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

9. विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग करें ।

बॉक्स 2 : विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत		
सं.	कूट	वर्णन
1	ए	भारत से विप्रेषण

2	बी	विदेशी में धारित राशि
3	सी	विदेशी में धारित निर्यात आय
4	डी	ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन
5	ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

<table>
<tr><td colspan="2">केवल रिज़र्व बैंक (सांविकंसेवि) के उपयोग के लिए</td><td>लोन की</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">सीएस-डीआरएमएस समूह</td><td>प्राप्ति तारीख</td><td colspan="3">कार्रवाई की तारीख</td><td colspan="3">ऋण वर्गीकरण</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

भाग अ : ऋण पहचान के ब्योरे

ऋण पंजीकरण सं.										

<table>
<tr><td colspan="3">ऋण की राशि</td><td>उधारकर्ता के ब्योरे</td></tr>
<tr><td></td><td>मुद्रा</td><td>राशि</td><td rowspan="7">उधारकर्ता का नाम और पता

संपर्की व्यक्ति का नाम
पदनाम
फोन सं.
फैक्स सं.
ई-मेल आइडी :</td></tr>
<tr><td rowspan="3">करार के अनुसार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">संशोधित</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

भाग आ : वास्तविक लेनदेन के ब्योरे

1. माह के दौरान आहरण द्वारा कमी :

<table>
<tr><td rowspan="2">श्रृंखला सं.</td><td rowspan="2">दिनांक (ववववव/मम/दिदि) (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)</td><td rowspan="2">मुद्रा</td><td rowspan="2">राशि</td><td colspan="2">प्रतिबद्ध लेकिन माह के अंत तक आहरत न किए गए ऋण की राशि (ऋण की मुद्रा में)</td></tr>
<tr><td>मुद्रा</td><td>राशि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के **आयात** के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए ।
2. **वित्तीय पट्टा** के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।
3. **प्रतिभूतिकृत लिखत** के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।

2. भविष्य में आहरण किए जानेवाले की बकाया राशि की अनुसूची :

श्रृंखला सं.	आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक (ववvव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	एक से ज़्यादा एकसमान किस्तों तो	
				आहरणों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.

3. महीने के दौरान आहरण द्वारा कमी के उपयोग के ब्योरे :

श्रृंखला सं.	दिनांक (ववववव/मम/दिदि)	प्रयोजन कूट (बॉक्स 1 देखें)	देश	मुद्रा	राशि	नवीन /वितरण / विदेश में धारित खाते से

4.________ **महीने की शुरूआत में बकाया विदेश में रखी गई राशि :**

दिनांक (ववववव/मम/दिदि)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि

5.विदेश में रखी गई राशि का उपयोग

दिनांक (ववववव/मम/दिदि)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि	प्रयोजन

6. महीने के दौरान ऋण भुगतान

श्रृंखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण की तारीख	मुद्रा	राशि	विप्रेषण की स्रोत (बॉक्स 2 देखें)	मूल राशि की चुकौती (हाँ/नीं)*
	मूल राशि					
	ब्याज @ दर					
	अन्य (स्पष्ट करें)					

* समयपूर्व भुगतान के मामले में ब्योरे दें : स्वतःअनुमोदित मार्ग / अनुमोदन सं.
दिनांक : राशि :

7.महीने के दौरान व्युत्पन्न लेनदेन (ब्याज दर, मुद्रा स्वॉप) (यदि कोई तो)

स्वैप का प्रकार	स्वैप-व्यापारी		काउंटर पार्टी		लागू होने की तारीख
	नाम	देश	नाम	देश	
ब्याज दर स्वैप					
मुद्रा स्वैप					
अन्य (स्पष्ट करें)					

श्रृंखला सं.	नई मुद्रा	नई मुद्रा पर ब्याज दर	ऋण मुद्रा पर नया ब्याज दर	स्वैप सौदे की परिपक्वता तारीख

8.संशोधित मूल राशि चुकौती अनुसूची (अगर संशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (ववव/मम/दिदि)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में	एक से अधिक एक समान किस्तों	वार्षिकी दर (अगर

(पहली चुकौती की तारीख)		विदेशी मुद्रा में राशि	किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं. (1,2,3,4,6,12)	वार्षिकी भुगतानो तो)

9. महीने के अंत में बकाया ऋण की राशि :

मुद्रा ____________________ | | | | राशि : ______________________________

(रिजर्व बैंक के उपयोग के लिए)

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं । कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : _______________ मुहर

____

दिनांक : _______________ (प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम : ______________________________

पदनाम : _______________________

(उधारकर्ता के उपयोग के लिए)

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतःअनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय को ______________________________ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है।हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार है और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

स्थान : नाम और पता

दिनांक : पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में उक्त दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण ,उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिदेशों के अनुसार है।

____

स्थान : ______________ मुहर (प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

दिनांक : ______________

नामः ______________________________

पदनाम

:______________________________

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता

यूनिफार्म कूट सं. :

	फार्म - टीसी									संलग्नक IV
		7 अप्रैल 2004 का एपी (डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.87 का अनुबंध								
	भाग I :	माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गारंटीकृत व्यापारिक उधार का अनुमोदन								
	प्राधिकृत व्यापारी का नाम					संपर्की व्यक्ति				
	पता :					टेलीफोन नं.				
						फैक्स				
क्रम संख्या	मंजूरी देने की तारीख	ऋण पहचान संख्या	उधार कर्ता की श्रेणी	उधारदाता का नाम	उधारदाता का देश	करेंसी	राशि	समतुल्य राशि	ब्याज दर	अन्य प्रभार (अमरीकी डालर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल									

	फार्म - टीसी					संलग्नक IV
		7 अप्रैल 2004 का एपी (डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.87 का अनुबंध				
	भाग I :	माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गारंटीकृत व्यापारिक उधार का अनुमोदन				
समग्र लागत	ऋण की अवधि		ऋण का स्वरूप		आयात की मद / प्रस्तावित आयात	
	दिनों/महीनों / वर्षों की संख्या	अवधि की समय इकाई	आपूर्तिकर्ता का ऋण/ क्रेता का ऋण	अल्पकालिक व्यापार ऋण/दीर्घकालीन व्यापार ऋण	व्योरा	श्रेणी
12	13	14	15	16	17	18

I. आपूर्तिकर्ता का ऋण (एससी)
II. क्रेता का ऋण (बीसी)
III. अल्पकालिक व्यापार ऋण (एसटीसी)
IV. दीर्घकालीन व्यापार ऋण (एलटीसी)
V. कुल व्यापार ऋण (टीसी)
* अथवा आपूर्तिकर्ता
** कृपयासंबंधित कोड सं. जैसे (एससी) अथवा (बीसी) अथवा (एसटीसी) अथवा (एलटीसी) अथवा (टीसी) टाइप करें

टिप्पणी 1 ऋण पहचान संख्या का फार्मेट है : टीसी/(बैंक/ शाखा का नाम) / (पहचान संख्या0

टिप्पणी 2 कॉलम सं. 8 से 13 तक की सूचना केवल अंकों में दी जाए। उन कॉलमों में अक्षर न लिखे जाएं।

टिप्पणी 3 कॉलम सं. 2 में तारीख का कॉलम है : वर्ष वर्ष वर्ष /माह माह माह /दिन दिनदिन 31 दिसंबर 2003 इस प्रकार से लिखा जाए: 2003/12/31

फार्म - टीसी	17 अप्रैल 2004 का एपी(डीआई आर सिरीज) परिपत्र सं.87 का अनुबंध
भाग II :________ (माह)/(वर्ष) के दौरान व्यापारिक उधार का संवितरण उपयोग और ऋण शोधन	

क्रम संख्या	ऋण पचान संख्या	अनुमोदित राशि (अमरीकी डालर में)	संवितरण (अमरीकी डालर में)	उपयोग (अमरीकी डालर में)	चुकौती (अमरीकी डालर में)					इनका दिनांक	
					मूल	ब्याज	अन्य प्रभार	कुल (6+7+8)	बकाया (4-6)	लदान	अंतिम भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.

नोट 1 : स्तंभ सं. 1, 3 से 10 तक में सूचना सिर्फ अंकों में भरे जाए । इन स्तंभों में कोई अक्षर न लिखे जाएं ।

नोट 2 : स्तंभ सं. 11 में दिनांक फार्मेट (ववववव/मम/दिदि) । उदारण के लिए 31 दिसंबर 2003 को 2003/12/31 के रूप में लिखा जाए ।

<u>प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रभाणपत्र</u>

1. _____________ माह के दौरान हमारी शाखा से आयात हेतु अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों को इस विवरण में शामिल किया गया है।

2. ऐसे व्यापारिक उधार के उपयोग से संबंधित सभी आयात दस्तावेजों (बिल एंट्री की ईसी प्रति प्रति) का सत्यापन कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है ।

3. हमारी शाखा द्वारा अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों के आहरण, उपयोग और पुनर्भुगतान की जांच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि व्यापारिक उधारों के ऐसे आहरण, उपयोग और चुकौती आयात के लिए व्यापारिक उधारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 87 में समय-समय पर इसके संशोधित संस्करणों में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप है ।

स्थान : ________________

____

दिनांक : ________________ मुहर प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

अनुबंध- V

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा जारी गारंटी/वचनपत्र /लेटर ऑफ कंफर्ट का विवरण

-- को समाप्त तिमाही

प्राधिकृत व्यापारी का नाम : संपर्की व्यक्ति :

पता : टेलीफोन :

ई-मेल : फैक्स :

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

निवासियों की ओर से	गारंटी / वचनपत्र / लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया	
	क्रेता ऋण	आपूर्तिकर्ता ऋण
व्यापार ऋण (3 वर्ष से कम)		
(क) एक वर्ष तक		
(ख) एक वर्ष से ज्यादा तथा तीन वर्षों से कम**		
** (पूंजीगत माल के आयात तक सीमित)		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान : . . . .

दिनांक : . . . .   मुहर

परिशिष्ट

बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित धिसूचनाओं/परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1.	फेमा 3/2000-आरबी	मई 3, 2000
2.	फेमा 26/2000-आरबी	अगस्त 14,2000
3.	फेमा 60/2002-आरबी	अप्रैल 29, 2002
4.	फेमा 75/2002-आरबी	नवंबर 1, 2002
5.	फेमा 80/2003-आरबी	जनवरी 8, 2003
6.	फेमा 82/2003-आरबी	जनवरी 10, 2003
7.	फेमा 112/2004-आरबी	मार्च 6,2004
8.	फेमा 126/2004-आरबी	दिसंबर 13, 2004
9.	फेमा 127/2005-आरबी	जनवरी 5, 2005
10.	फेमा 129/2005-आरबी	जनवरी 20, 2005
11.	फेमा 142/2005-आरबी	दिसंबर 6, 2005
12.	फेमा 157/2007-आरबी	अगस्त 30, 2007
13.	फेमा 182/2009-आरबी	जनवरी 13, 2009

1.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.41	अप्रैल 29, 2002
2.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29	अक्तूबर 18, 2003
3.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.60	जनवरी 31, 2004
4.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.75	फरवरी 23, 2004
5.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.82	अप्रैल 1, 2004
6.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.87	अप्रैल 17, 2004
7.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.15	अक्तूबर 1, 2004
8.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.24	नवंबर 1, 2004

9.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	अप्रैल 25, 2005
10.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	अगस्त 1, 2005
11.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	नवंबर 4, 2005
12.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	जनवरी 23, 2006
13.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	मई 12, 2006
14.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	दिसंबर 4, 2006
15.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	अप्रैल 30, 2007
16.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	मई 21, 2007
17.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	अगस्त 7, 2007
18.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	सिोतंबर 26, 2007
19.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	मई 28, 2008
20.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	मई 29, 2008
21.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	जून 02,2008
22.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	जुलाई 11, 2008
23.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	सितंबर 22,2008
24.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	सितंबर 23,2008
25.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	अक्तूबर 8, 2008
26.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	अक्तूबर 22, 2008
27.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	अक्तूबर 27, 2008
28.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	दिसंबर 08, 2008
29.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	जनवरी 2, 2009
30.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	मार्च 13, 2009
31.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	अप्रैल 28, 2009
32.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	अप्रैल 28, 2009